न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/49/2023	2023/470	26–07–2023	20–12–2023

01– मनीष कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी मकान नंबर 4 गणेश नगर, मुरलीपुरा जयपुर, राज0।

02– नरेन्द्र पुत्र बाबूलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी शिखर महल कार्टर रोड नंबर 4 बोरोवली ईस्ट, मुम्बई 400066

–अपीलान्ट

बनाम

01– तहसीलदार अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

02– निर्मला देवी पुत्री बाबूलाल गुप्ता पत्नी विष्णु कुमार निवासी शिवाजी पार्क अलवर।

03– सरला देवी पुत्री बाबूलाल गुप्ता पत्नी योगेश जाति महाजन निवासी भिण्डूसी तह0 तिजारा जिला अलवर।

04– सुषमा कुमारी गुप्ता पुत्री बाबूलाल गुप्ता पत्नी राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी रामनारायण का बाग खैरथल जिला अलवर।

05– सीता देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति महाजन निवासी गणेश पार्क विद्याधर नगर जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर निर्णय दिनांक 23.03.1983।

उपस्थितः–

01–श्री जीतेश गागल –वकील अपीलान्ट

–निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 23.03.1983 जिसके द्वारा तहसीलदार अलवर द्वारा क्रेता बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल जाति महाजन के स्थान पर जाति जाट अंकित की गई, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहसीलदार अलवर द्वारा इंतकाल संख्या 935 दिनांक 23.03.1983 को अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट नंबर 2 लगायत 4 के पिता व तरतीबी रेस्पोडेण्ट नंबर 5 के पति बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल के नाम स्वीकार किया गया। जिसमें बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल जाति महाजन के स्थान पर जाति जाट दर्ज कर दी गई है जिसकी जानकारी मिन अपीलाण्ट को दिनाकं 27.03.2023 को हुई। जब बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजी का विरासत का इंतकाल दर्ज कराने हेतु दस्तावेजात की नकल प्राप्त की और पटवारी हल्का से इंतकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी द्वारा प्रार्थी बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल की जाति ग़लत होने से इंतकाल दर्ज करने से इनकार कर दिया। श्रीमान् के समक्ष अपील अविलम्ब पेश की गई है। उक्त इंतकाल त्रुटिपूर्ण स्वीकार हुआ है। विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के लिए पृथक से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट नंबर 2 लगायत 5 के पिता व पति बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल ने आराजी साबिक नंबर 437 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम अलवर नंबर 1 मूल खातेदारान से जरिये बयनामा खरीद की थी जो बयनामा दिनांक 21.04.1982 को उप–पंजीयक अलवर द्वारा पंजीबद्ध किया गया। जिस आराजी में मिन अपीलाण्ट के पिता का 1/9 हिस्सा था। उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 504 रकबा 38 एअर वाके ग्राम अलवर नंबर 1 कायम किये गये हैं। जिसमें बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल का 1/9 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। इंतकाल बय संख्या 935 दिनांक 23.03.1983 को स्वीकृत किया गया है। जिस इंतकाल में मिन अपीलाण्ट के पिता बाबूलाल की जाति महाजन के स्थान पर जाट अंकित कर दी गयी। उक्त इंतकाल के आधार पर जमाबन्दी में भी जाति महाजन के स्थान पर जाट दर्ज की गयी है। बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल का स्वर्गवास दिनांक 29.05.2018 को हो चुका है। मिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज0)

अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्टस 2 लगायत 5 बाबूलाल के जायज व कानूनी वारीसान हैं। इंतकाल दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा बयनामे का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया गया, जबकि बयनामा दिनांक 21.04.1982 में स्पष्ट रूप से मिन अपीलाण्टान व तरतीवी रेस्पोडेण्ट के पिता बाबूलाला पुत्र रामेश्वर दयाल जाति महाजन अंकित किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अलवर की आज्ञा दिनांक 23.03.1983 बाबत् इंतकाल संख्या 935 वाके अलवर नंबर 1 को संशोधित कर अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्ट नंबर 2 लगायत 4 के पिता व तरतीवी रेस्पोडेण्ट संख्या 5 के पति बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल की जाति जाट की जगह महाजन करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.1983 वाके ग्राम अलवर नं0 1 तहसील अलवर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 26.07.2023 को पेश की गयी है, जो लगभग 40 वर्ष 4 माह पश्चात पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी जो अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है, तहसीलदार अलवर द्वारा नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलाण्टान व तरतीबी रेस्पोडेण्ट 2 लगायत 5 के पिता व पति बाबूलाल की जाति महाजन के स्थान पर जाट दर्ज की गयी है। जिसे दुरूस्त कर महाजन दर्ज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न बयनामों का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। संलग्न बयनामे से स्पष्ट है कि अपीलाण्टान व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 के पिता व पति श्री बाबूलाल की जाति महाजन है। तहसीलदार अलवर द्वारा बयनामे का विधिवत अवलोकन नहीं किया गया है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि बयनामा दिनांक 21.04.1982 का पुनः नियमों के आलोक में विधिवत अध्ययन कर अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट नंबर 2 लगायत 5 के पिता व पति बाबूलाल पुत्र रामेश्वर दयाल की खरीदशुदा आराजी का नामान्तरकरण बयनामों के आधार पर नियमानुसार दर्ज करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)